

संख्या सा-3-585/दस-935/78

प्रियक,

जे 0 एल 0 बजाज;  
वित्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ, दिनांक 16 मई, 1983 ।

विषय—दो पेंशन—सर्विस पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन—प्राप्तकर्ताओं को राहत का भुगतान ।

महोदय,

शासन में यह प्रश्न विचाराधीन रहा है कि यदि कोई सेवानिवृत्त सरकारी सेवक दो पेंशनें प्राप्त कर रहा है, अर्थात् एक अपनी सेवा के आधार पर सेवा पेंशन तथा दूसरी अपने पति/पत्नी, जो सरकारी सेवक रहा/रही हो, की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप पारिवारिक पेंशन, तो ऐसे मामलों में राहत किस प्रकार देय होगी, अर्थात् दोनों पेंशनों की धनराशियों के योग पर राहत आगणित की जायेगी अथवा अलग-अलग आगणित की जायेगी । मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर भलीभांति विचारणोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त प्रकार के मामलों में राहत की गणना दोनों पेंशनों, अर्थात् सेवा पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन की धनराशि के योग पर की जायेगी । राहत की गणना हेतु यह देखा जायगा कि श्रेणी के हिसाब से सेवा पेंशन पर अनुमन्य राहत की दर तथा पारिवारिक पेंशन पर अनुमन्य राहत की दर में से जो अधिक हो, उस दर से पेंशनों के योग पर राहत देय होगी जिससे पेंशनर को हानि न हो ।

[कु0पू0उ0

2  
2—उपर्युक्त आदेश शासनादेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी समझे जायेंगे। कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय;  
जे० एल० व जाज,  
वित्त सचिव।

संख्या सी-3-585 (1)/दस-935/78, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, तृतीय एवं प्रथम, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या म० ले० 3/पी० समन्वय/15 (II)/5/एल०एफ०-6/1990, दिनांक 18 जनवरी, 1983 के सन्दर्भ में।
- 2—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, द्वितीय, लखनऊ।
- 3—समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।
- 4—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 5—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।
- 6—प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ।

श्राज्ञा से;  
एस० डी० वर्मा,  
प सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 12 सा० भाषा—1-6-83-(882)-1983-10,000 (हि.)।